618

कार्यालय कलेक्टर (ई–गवर्नेन्स सोसायटी) जबलपुर

कक्ष क्रमांक – 40, कलेक्ट्रेट जबलपुर, Email – degmjab@mp.gov.in, Ph –0761-2624356-240

क्रमांक/1096/ई–गवर्नेंस/2017 जबलपुर, दिनांक 23/08/2017

विज्ञापन

जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी जबलपुर अंतर्गत जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों में स्वीकृत संविदा पर कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर के स्वीकृत 13 पदों के विरूद्ध शेष रिक्त 8 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

संविदा पद का विवरण

क्र.	संविदा पद का नाम	मानदेय/राशि प्रतिमाह	रिक्त पद संख्या
1	कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर	10000/–	8

आरक्षण तालिका

क्र.	पद का नाम	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या								
		अनारक्षित		अ0ज0जाति		अ0जाति		अ0पि0वर्ग		योग
		पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	
1.	कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर	2	1	1	1	1	0	1	1	8
	योग	2	1	1	1	1	0	1	1	8

1. तालिका में दर्शित स्वीकृत पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 10/09/2017 तक आवेदन पत्र एमपीऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं।
2. निर्धारित अर्हताएं एवं योग्यता धारी उम्मीदवार अपने आवेदन–पत्र एमपीऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भर सकते हैं।
3. संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। नियुक्ति के पश्चात् नियुक्त व्यक्ति का वार्षिक कार्य मूल्यांकन उपयुक्त होने पर नियुक्ति में एक–एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।

4–अर्हताएं

अनिवार्य योग्यता

4.1 शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।

4.2 C.P.C.T. परीक्षा उत्तीर्ण।

वांछनीय योग्यता

4.3 कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता, डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी, दस्तावेजों की स्केनिंग, एम.एस.–ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव।

5—पात्रता

5.1 उम्मीदवार मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिये।

5.2 नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (शासकीय विभाग / उपक्रम / मण्डल में संविदा पर कार्यरत् कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी।) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियमानुसार 5 वर्ष की छूट देते हुए आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी।

5.3 आयु सीमा दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में परिगणित की जाएगी।

6 — नियुक्ति की प्रक्रिया

6.1 आवेदक द्वारा दी गई सम्पूर्ण अर्हताएं अनुसार कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) में प्राप्त स्कोर कार्ड के माध्यम से मैरिट सूची बनाई जावेगी। आवेदक जबलपुर जिले की वेबसाईट www.jabalpur.nic.in पर भी समस्त जानकारी देख सकते हैं।

6.2 म0प्र0शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ 14—16 / 2012 / 56, भोपाल दिनांक 02.06.2016 के अनुसार CPCT परीक्षा के स्कोर कार्ड की वैद्यता अवधि परीक्षा तिथि से 02 वर्ष निर्धारित की गई है। अतः वैद्य स्कोर कार्ड को ही विचारण में लिया जावेगा।

6.3 CPCT परीक्षा के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी का तथा दूसरा सेक्शन नेट टाइपिंग स्पीड का होता है। नेट टाइपिंग स्पीड में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों टाईपिंग के आधार पर स्कोर निर्धारित होता है। नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एन्ट्री आपरेटर के लिए क्वालिफाईड होना आवश्यक होगा। हिन्दी और अंग्रेजी नेट टाईपिंग स्पीड में क्वालीफाइड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा। अर्थात मेरिट के निर्धारण में अंग्रेजी और हिन्दी के नेट टाइपिंग का स्कोर शामिल नहीं किया जायेगा, लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी नेट टाइपिंग क्वालीफाई किया हो। यदि 02 या अधिक आवेदकों के कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में समान अंक होंगे तो अंग्रेजी टाईपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा। अंग्रेजी टाईपिंग के भी अंक समान होने पर हिन्दी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा।

6.4 उम्मीदवार का चयन समिति द्वारा किया जावेगा। कलेक्टर जबलपुर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

6.5 सभी विवादों का न्यायायिक क्षेत्र जबलपुर रहेगा।

7 — नियुक्ति की शर्तें

7.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।

7.2 नियुक्ति के पश्चात् जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) का (फिटनेस) चिकित्सा प्रमाण–पत्र, कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 7 दिन की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

7.3 नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी। इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होंगे।

7.4 नियुक्त संविदा कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।

7.5 नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कार्यालय से संबंधित कोई सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/विभाग या किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

7.6 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

7.7 नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश में कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के पालन हेतु बाध्य होगा।

7.8 नियुक्त संविदा कर्मचारी को शासन/कलेक्टर द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।

7.9 नियुक्ति पत्र में दर्शायी गयी तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

7.10 नियुक्त संविदा कर्मचारी की आधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षणों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

7.11 नियुक्त संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जावेगी।

7.12 नियुक्त संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।

7.13 नियुक्त संविदा कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

8 – प्रतीक्षा सूची

चयनित उम्मीदवारों के पश्चात शेष योग्य अभ्यर्थयों की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी।

9 – प्रतीक्षा सूची की वैधता

प्रतीक्षा सची की वैधता सामान्यतः 02 वर्षों के लिये होगी।

10 – संविदा अवधि

10.1 संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैद्य होगी।

10.2 संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

10.3 संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। जिससे उनके कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन हो सके। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

11 – मानदेय/पारिश्रमिक

11.1 संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन 10,000/– मात्र देय होगी।

11.2 संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नहीं होगी।

11.3 यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को होती है।

12 – अवकाश

12.1 वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 15 चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। अवकाश का उपभोग जिला, कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा।

13 – ई.पी.एफ. कटौत्री

13.1 ई.पी.एफ. कटौत्रा के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।

14 – अन्य

14.1 इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जायेगा।

14.2 दस्तावेजों का सत्यापन चयन समिति करेगी। फर्जी दस्तावेजों पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

14.3 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

15 – विवादों का निपटारा

किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित जिले के कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

कलेक्टर
जिला–जबलुर (म0प्र0)